BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 105 OF 2025

IN THE MATTER OF:
AJAY PRATAP SINGH **......APPLICANT**

VERSUS

DISTRICT MAGISTRATE, MAINPURI & ORS.
...RESPONDENTS

INDEX **N.D.O.H.: 17.10.2025**

SL. NO.	PARTICULARS	PAGES
1.	**ANNEXURE-1** True copy of notice dated 21.05.2025.	
2.	**ANNEXURE-2** True copy of notice dated.	
3.	**ANNEXURE-3** True copy of show cause notices. Dated 15.04.2025	

NEW DELHI:
DATED: 16.10.2025

(PRADEEP MISRA & DALEEP DHYANI)
Counsel for the Respondent UPPCB
138 New Lawyers' Chamber,
Supreme Court of India
(M): 9810252518
New Delhi – 110001
Email ID: pradeepmisra@yahoo.com

10 रु. COURT FEE भारत INDIA Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 105 OF 2025

IN THE MATTER OF:

AJAY PRATAP SINGH ......APPLICANT

VERSUS

DISTRICT MAGISTRATE, MAINPURI & ORS.

...RESPONDENTS

NOTARIAL NOTARIAL CERTIFIED ON

Page No. 117 S.No. 03 DATED 16/10/25 NOTARY FIROZABAD

RESPONDS ON BEHALF OF U.P. POLLUTION CONTROL BOARD IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 20.03.2025

I, Rajendra Prasad, S/o. Late Vishnoo Ram aged about 58 years, Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Firozabad, U.P. do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That I in the capacity above noted am conversant with the facts and record of the present case, hence competent to swear this affidavit.

2. That Ishan River originates from Village- Pahadpur, Tehsil- Sikandrarao, District- Hathras (Latitude- 27.725263; Longitude- 78.330533), travels through Etah

NOTARY Name Shyam Sunder Soni Adv. Area Distt Firozabad Regn. No. 4890/07 GOVT. OF INDIA

(village Kishorpur), Firozabad, Mainpuri, Kannuj and meets in river Ganga at village gauri, saint ghat, Bilhaur district Kanpur Nagar.

3. That officials of UPPCB have conducted the monitoring of Ishan River in the month of April 2025, May 2025 and July 2025.The Ishan River in District- Hathras is seasonal river having discharge in rainy season only. In district- Hathras 1 major drain and flow of small drains of approximately 4 villages meets in the river. There after the river flows to district- Etah. In district Etah there are 6 drains of Nagar Palika parishad Etah and Nagar Panchayat Nidhauli Kalan meets in Ishan River.

4. The river from Etah comes to district- Firozabad where this river is dry in non rainy season. There after it goes to district- Mainpuri at upstream of Nagar Palika Mainpuri the river is dry after entering in Nagar Palika Mainpuri the sewage of 7 drains meets in the river and hence forth it reaches to Nagar Panchayat Kusmara of district-Mainpuri where 1 drain meets in the Ishan River.

Page No. 217
S.No. 03
DATED 16/10/2025
NOTARY FIROZABAD

5. That at downstream Kushmara in district-Mainpuri the water of Dewar Kharja canal at Village- Ahimalpur, and water of canal at Kushmara- Ram Nagar Road meets in Ishan River. There after the river reaches district- Kannauj.

NOTARY GOVT. OF INDIA
Name Shyam Sunder
Adv.
Area Distt. Firozabad
Regn. No. 4890/07

6. That in district- Kannauj the river is having flow at upstream Kannauj at Village- Rampur Behta. There after the river is dry at near Jafrabad Bridge at Chhibramau,

Dhobi Ghat at Sarisujan road, Tirwa to Kannauj Road near bridge and Sarasain Purwa bhadosi down stream. There after the river reaches Bilhaur Kanpur Nagar.

7. That at Bilhaur, Kanpur Nagar the domestic discharge meets the river the and Ishan River meets river Ganga at Sneh ghat Bilhaur Kanpur Nagar.

8. That officials of Regional Office UPPCB collected the river water samples from different points of Ishan River. The sampling summary chart is given below:

S. No.	Sampling Point	Date of Sample	Results	Water Quality Criteria
1.	Village- Peepal Gaon Sindrarao Hathras (Border of Hathras & Etah)	18.04.2025	• pH- 7.04 • DO-5.4 mg/l • BOD- 8.6 mg/l	Class D – (Propagation of Wild life and Fisheries)
2.	Village – Usnaida, Tehsil-Giror, District-Mainpuri	06.05.2025	Dry	
3.	U/s Ishan River, near kotwali road Mainpuri	06.05.2025	• pH- 7.7 • DO-6mg/l • BOD- 17.6 mg/l	Class D – (Propagation of Wild life and Fisheries)
4.	D/s Ishan River, near district-jail Mainpuri	06.05.2025	• pH- 7.8 • DO-5-8mg/l • BOD- 16.8 mg/l	Class D – (Propagation of Wild life and Fisheries)

Page No. 317
S.No. 03
DATED 16/10/2025
NOTARY FIROZABAD

NOTARY GOVT. OF INDIA
Name Shyam Sunder Sony Adv.
Area Distt. Firozabad
Regn. No. 4890/07

S. No.	Sampling Point	Date of Sample	Results	Water Quality Criteria
5.	Ishan river before meeting Kori nala near samshangha, Gopalpur, Kusmara Mainpuri	20.05.2025	• pH- 7.6 • DO- 6.1mg/l • BOD- 10.8 mg/l	Class D – (Propagation of Wild life and Fisheries)
6.	Ishan river after meeting Kori nala near samshanghat, Gopalpur, Kusmara Mainpuri	20.05.2025	• pH- 7.4 • DO- 5.7mg/l • BOD- 12 mg/l	Class D – (Propagation of Wild life and Fisheries)
7.	*Ishan river* before meeting nagala nala, Kusamara-Jasmari Road Mainpuri	20.05.2025	• pH- 7.5 • DO- 5.8mg/l • BOD- 11.6 mg/l	Class D – (Propagation of Wild life and Fisheries)
8.	Ishan river after meeting nagala nala, Kusamara-Jasmari Road Mainpuri	20.05.2025	• pH- 7.5 • DO- 5.8mg/l • BOD- 11.6 mg/l	Class D – (Propagation of Wild life and Fisheries)
9.	Village Rampur Behta, Kannauj	28.04.2025	• pH-7.5 • DO- 7.0mg/l • BOD- 3.2 mg/l	Class D – (Propagation of Wild life and Fisheries)
10.	Near Jafrabad	28.04.2025	Dry	

Page No. 413
S.No. 03
DATED 16/10/2025
NOTARY FIROZABAD

NOTARY
Name Shyam Sunder Soni Adv.
Area Distt. Firozabad
Regn. No. 4890/07
GOVT. OF INDIA

S. No.	Sampling Point	Date of Sample	Results	Water Quality Criteria
	Bridge at Chibramau			
11.	Dhobi Ghat, at Saraisujan Road	28.04.2025	Dry	
12.	Tirwa to Kannauj Road near bridge	28.04.2025	Dry	
13.	Sarasain Purwa bhadosi Down stream	28.04.2025	Dry	
14.	Gram Madiya, Bilhaur Kanpur Nagar	02.07.2025	• pH- 7.78 • DO- 7.7mg/l • BOD- 3.7 mg/l	Class D – (Propagation of Wild life and *Fisheries)*
15.	GT Road Bilhaur Bridge	02.07.2025	• pH- 7.76 • DO- 7.7mg/l • BOD- 3.8 mg/l	Class D – Propagation of Wild life and *Fisheries*
16	Sengh ghat Bilhaur Kanpur Nagar (before *confluence to* River Ganga)	02.07.2025	• pH- 7.79 • DO- 7.8mg/l • BOD- 4.4 mg/l	Class D – Propagation of Wild life and *Fisheries*
17.	River Ganga before meeting Ishan *River*	02.07.2025	• pH- 8.32 • DO- 8.7mg/l • *BOD-* 3.5 mg/l	Class D – Propagation of Wild life *and* Fisheries
18.	River Ganga after meeting	02.07.2025	• pH- 8.3 • DO-	Class D – Propagation

Page No. 572
S.No. 101
DATED 16/10/2025
NOTARY FIROZABAD

NOTARY
Name Shyam Sunder
Area Distt. Firozabad
Regd. No. 4680/07
GOVT. OF INDIA

S. No.	Sampling Point	Date of Sample	Results	Water Quality Criteria
	Ishan River		8.6mg/ • BOD- 3.6 mg/l	of Wild life and Fisheries

Source- https://cpcb.nic.in/wqm/Designated_Best_Use_Water_Quality_Criteria.pdf

9. That it is to mention here that there are 27 drains which are discharging their untreated sewage in Ishan River form Hathras to Bilhaur Kanpur Nagar (Before meeting river Ganga). The detail is given below-

Sr. No.	District	No of Drains	Flow (MLD)
1	Hathras	13	5
2	Etah	6	2.1
3.	Mainpuri	8	14.26
Total		27	21.36

10. That Regional Office UPPCB, Firozabad has issued notice dated 21.05.2025 to executive officer Nagar Palika Parishad Mainpuri and Nagar Panchayat Kushmara, Mainpuri for tapping of 08 drains and their connectivity with STP. The true copy of notice dated 21.05.2025 is attached herewith as **ANNEXURE 1.**

Page No. 613
S.No. 03
DATED 16/10/2025
NOTARY

NOTARY GOVT. OF INDIA
Name Shri Sunder Adv.
Firozabad
Regn. No. 4890/07

11. That UPPCB vide letter dated 15.10.2025 has issued notice under section 20 read with 33A Water (Pollution Control and Prevention), Act-1974 and to Executive officer Nagar Palika Parishad, Etah, Nagar Panchayat Nidhauli, District- Etah, Nagar Palika Parishad, Sikandrarau, District- Hathras, Nagar Palika Parishad, Mainpuri District-Mainpuri, Nagar Panchayat Kusmara,

District-Mainpuri for submission of action taken/Plan for treatment of the above untreated sewage from the above 27 drains. A The true copy of notices dated 15.10.2025 are attached herewith as **ANNEXURE 2**.

12. That District Magistrate, Kannauj during meeting dated 15.04.2025 has issued direction to irrigation department Kannauj to conduct Arial drone survey of Ishan River and prepare action plan for rejuvenation of Ishan River. The true copy of MoM dated 15.04.2025 is attached herewith as **ANNEXURE-3**.

The above facts are being placed for kind consideration of this Hon'ble Tribunal.

Page No. 217
S.No. 03
DATED 16/10/2025
NOTARY FIROZABAD

DEPONENT

VERIFICATION:

I, the above-named deponent does hereby verify that the contents of above affidavit are true to my knowledge derived from official record. No part of the same is false and nothing has been concealed there from.

VERIFIED ON THIS THE 16th DAY OF OCTOBER, 2025 AT Firozabad, U.P.

DEPONENT

NOTARY GOVT. OF INDIA
Name Shyam Sunder Sony Adv.
Area Distt Firozabad
Regn. No. 48880/07

S.No. 03 Dated 16/10/2025
Shri Rajendra Prasad
Identified by Sri Vinod Kumar
Sworn/Affirm Consents There
before me at ....in my office
Received fees .... as the fee

Shyam Sunder Sony Advocate
NOTARY FIROZABAD
16/10/2025

e-mail:- rofirozabad@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
भवन स0–3/5 बी, सेक्टर–3, सुहाग नगर, फिरोजाबाद।

Annexure No. 1

पत्रांक – 125/सा0–217/एन0जी0टी0 ओ0ए0 नं0–105/अजय प्रताप सिंह/2025 दिनांक–21/05/2025

सेवा मे,

1. अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
मैनपुरी।

2. अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, कुसमरा,
जनपद–मैनपुरी।

विषयः **माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–105/2025 अजय प्रताप सिंह बनाम डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट मैनपुरी, उ0प्र0 व अन्य में दिनांक 20.03.2025 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–105/2025 अजय प्रताप सिंह बनाम डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट मैनपुरी, उ0प्र0 व अन्य में दिनांक 20.03.2025 को पारित आदेश के अंश निम्नवत है:–

"... 1. In this original application, applicant has raised the issue of encroachment on the banks of Ishan River which is a tributary of River Ganga. He has also raised the issue of preservation of Rohtam lake. The plea of the applicant is that the banks of River Ishan have been encroached upon on both sides at Mainpuri and Etah by school buildings, commercial establishments and illegal colonies. The further plea is that the construction process is still ongoing. The applicant has further alleged that the main drain of Mainpuri city flowing along the hostel road falls into Ishan River near St. Mary's School discharging the black and grey water from the city's residential area into the river. In support of this submission, applicant has enclosed the photographs as Annexure 3 from page 80 onwards.
2. The OA raises substantial issue relating to compliance of environmental norms.
3. Issue notice to the respondents for filing the reply by way of affidavit at least one week before the next date of hearing.
4. Applicant is directed to serve the respondents and file affidavit of service.
5. List on 17.07.2025……"

अवगत कराना है कि जनपद– मैनपुरी में ईशन नदी नगर पालिका परिषद, मैनपुरी एवं नगर पंचायत, कुसमरा, जनपद–मैनपुरी के पास से होकर गुजरती है। उक्त स्थानीय निकाय क्षेत्र से जनित नगरीय सीवेज नालों के माध्यम से ईशन नदी में गिर रहा है, जिसके शुद्धीकरण हेतु उपयुक्त व्यवस्था स्थापित नहीं है तथा सीवेज उत्प्रवाह शोधित किये बिना सीधे ईशन नदी में निस्तारित हो रहा है। निम्न तालिका में अंकित स्थानीय निकाय के सम्मुख अंकित ड्रेन संख्या एवं नाम के माध्यम से स्थानीय निकाय क्षेत्र से जनित सीवेज उत्प्रवाह को अनटेप्ड ड्रेन के माध्यम से ईशन नदी में अन्तिम रूप से निस्तारित किया जाता है, का विवरण निम्नवत् है:–

S. No	Name of Local Body	Drain Name	River Name in which drain meet	Tapping Status of Drain	Treatment Facility for Discharged Effluent
1	Nagar Palika Parishad, Mainpuri	Kharja Drain	Ishan	Untapped	No
2		Drain meets at Satish Mall		Untapped	No
3		Drain meets at chandeshwar mandir road		Untapped	No
4		Drain near shamshan ghat		Untapped	No
5		Drain at karbala ghat		Untapped	No
6		Lengang Drain meets near saint marry school		Untapped	No
7		Drain at Eshan River bridge kurawali road, mainpuri		Untapped	No
8	Nagar Panchayat Kushmara, District-Mainpuri	Kori Nala Kushmara	Ishan	Untapped	No

स्थानीय निकायों के अन्टेप्ड ड्रेन के माध्यम से नदी/सतही जल स्रोत में निस्तारित हो रहे सीवेज उत्प्रवाह के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय–समय पर पारित आदेश निम्नवत् हैं:–

1. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या– 593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के अंश निम्नवत् हैं:–

"…58. We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act

NOTARY GOVT. OF INDIA

and rules framed thereunder.. ...."

2. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या– 593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व [illegible] बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अंश निम्नवत् हैं:–

"... Interim measures for phytoremediation/ bioremediation etc. in respect of 100% sewage to reduce the pollution load on recipient water bodies – 31.03.2020. Compensation is payable for failure to do so at the rate of Rs. 5 lakh per month per drain by concerned Local Bodies/States (in terms of orders dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 and 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018) w.e.f. 01.04.2020. ....."

"... As observed in para 13 above, 100% treatment of sewage/effluent must be ensured and strict coercive action taken for any violation to enforce rule of law. Any party is free to move the Hon'ble Supreme Court for continued violation of its order after the deadline of 31.3.2018. This order is without prejudice to the said remedy as direction of the Hon'ble Supreme Court cannot be diluted or relaxed by this Tribunal in the course of execution. PCBs/PCCs are free to realize compensation for violations but from 1.7.2020, such compensation must be realized as per direction of this Tribunal failing which the erring State PCBs/PCCs will be accountable..."

स्थानीय निकाय क्षेत्र से जनित सीवेज उत्प्रवाह को उक्त अनटेप्ड ड्रेन के माध्यम से शोधित किये बिना सीधे ईशन नदी में अन्तिम रूप से निस्तारित किया जाता है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 (यथासंशोधित) में वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन है। गंगा एवं उसकी सहायक नदियों/जलाशयों में गिरने वाली समस्त अनटैप्ड की पूर्णतः टैपिंग, ड्रेन के नदियों/जलाशयों में मिलने से पूर्व वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में फाइटोरेमेडिएशन/बायोरेमेडिएशन के द्वारा उपचार, स्थापित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट/सी.ई.टी.पी. का प्रभावी एवं सुचारू रूप से संचालन तथ निर्माणाधीन एस.टी.पी./सी.ई.टी.पी. प्रोजेक्ट का शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने सम्बन्धी निर्देश समय–समय पर निर्देशित है जिससे कि नदी की जल गुणता संरक्षित रहे।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में आपसे निम्नलिखित बिन्दुओं पर अनुपालनात्मक कार्यवाही किये जाने तथा सूचना प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है–

1. नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत से निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह जो कि नाले के माध्यम से सीधे नदी में मिल रहे हैं, शुद्धिकरण हेतु प्रस्तावित एस.टी.पी. सम्बन्धी समयबद्ध प्रस्ताव/डिजाइन डिटेल तत्काल प्रेषित की जाये।
2. एस0टी0पी0 स्थापित नहीं होने की दशा में नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत स्थित नदी में मिलने वाले समस्त अनटैप्ड ड्रेन की पूर्णतया टेपिंग कर ड्रेन के नदियों में मिलने से पूर्व वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में फाइटोरेमेडिएशन/बायोरेमेडिएशन के द्वारा उपचारित कर ही नदी में निस्तारित किया जाये। समस्त नालियों पर ठोस अपशिष्ट की रोकथाम हेतु नालों के नदी में मिलने से 1.0 किमी0 पूर्व जाली लगाकर नदी में मिलने से रोका जाये। उक्त व्यवस्था हेतु स्थापित/संचालित किये जाने सम्बन्धी समयबद्ध प्रस्ताव/डिजाइन डिटेल तत्काल प्रेषित किया जाये।
3. नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत स्थित नालों का विवरण, नालों के टेपिंग/जाली लगाने/उत्प्रवाह की मात्रा आदि सम्बन्धी विवरण, नालों से निस्तारित हो रहे सीवेज/घरेलू जल–मल के शुद्धिकरण हेतु की गयी/प्रस्तावित व्यवस्था का समयबद्ध प्रस्ताव/डिजाइन डिटेल प्रेषित किया जाये।

उपरोक्त बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचना, समयबद्ध प्रस्ताव एवं डिजाइन डिटेल पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। स्थानीय निकाय क्षेत्र से जनित सीवेज उत्प्रवाह को शोधित किये बिना ईशन नदी में निस्तारित न किया जाये। अन्यथा की दशा में पर्यावरणीय अधिनियमान्तर्गत स्थानीय निकाय के विरुद्ध की गयी किसी भी वैधानिक कार्यवाही/पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही का पूर्ण उत्तरदायित्व आपके स्वयं का होगा।

भवदीय

(राजेन्द्र प्रसाद)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, मैनपुरी को सादर अवलोकनार्थ।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. परियोजना प्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), वाटर वर्क्स, चौराहा, आगरा।
5. अधिशाषी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), दबरई फिरोजाबाद।
6. अधिशाषी अभियन्ता, मैनपुरी प्रखण्ड, निचली गंग नहर, मैनपुरी।

क्षेत्रीय अधिकारी

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE Lifestyle for Environment

संदर्भ सख्या-H33578/सी-4/सामान्य-।।-1095/2025 दिनांक 15/10/25

पंजीकृत
ई-मेल

सेवा मे,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, कुसमरा,
जनपद-मैनपुरी।

Annexure No. 2

यह कि मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली OA No. 105/2025 Ajay Pratap Singh V/s District Majistrate Mainpuri, U.P. and ors मे पारित आदेश दिनांक 20.03.2025 के अनुक्रम में क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 23.06.2025 के द्वारा आख्या प्रेषित की गयी है (छायाप्रति संलग्न)।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड फिरोजाबाद के पत्र दिनाक 23.06.2025 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार नगर पंचायत, कुसमरा, जनपद-मैनपुरी ईशान नदी के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है जिसमे क्षेत्र से जनित नगरीय सीवेज नालों के माध्यम से ईशन नदी में गिर रहा है। स्थानीय निकाय क्षेत्रों मे गिर रहे नालों का विवरण निम्नवत् है:-

Sr. no.	Name of Local Body	Drain Name	River name in which drain meet	Tapping Status of Drain	Treatment facility for discharged effluent	Flow in each Drain (MLD)
1.	Nagra Panchayat, Kushmara, District-Mainpuri	Kori Nala Kushmara	Ishan	Untapped	No	0.10

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद के पत्र दिनाक 21.05.2025 द्वारा आपको उक्त नालों की टैपिग किये जाने, नालों के माध्यम से ईशन नदी में सीधे निस्तारित अशोधित उत्प्रवाह को शुद्धिकृत कियें जाने हेतु समयबद्ध प्रस्ताव प्रेषित किये जाने, एस0टी0पी0 नहीं होने की दशा में वैकल्पिक व्यवस्था के रुप मे फाइटोरेमिडियेशन/बायो रेमिडियेशन के द्वारा उपचारित कर ही सीवेज उत्प्रवाह को नदी में निस्तारित किये जाने सम्बन्धी नोटिस प्रेषित किया गया है, जिसका प्रतिउत्तर/अनुपालन आख्या अभी तक प्राप्त नही है।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-20 सपठित धारा 33ए के अन्तर्गत आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपद-फिरोजाबाद में ईशान नदी में गिरने वाले उक्त नालों से जनित उत्प्रवाह को शोधित किये जाने हेतु की जा रही कार्यवाही/कार्ययोजना एक सप्ताह के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें। उपरोक्त निर्देशो का समयबद्ध अनुपालन न किये जाने की दशा में पर्यावरणीय अधिनियमों के अन्तर्गत आपके विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

भवदीय
Digitally signed by RAM GOPAL
Date: 15-10-2025 12:22:01
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2

NOTARY GOVT. OF INDIA

प्रतिलिपि-
1. जिलाधिकारी, जनपद-मैनपुरी को सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE Lifestyle for Environment

संदर्भ संख्या–H33579/सी–4/सामान्य–II–1096/2025 दिनांक 15-10-25

पंजीकृत
ई–मेल

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, मैनपुरी
जनपद–मैनपुरी।

यह कि मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली OA No. 105/2025 Ajay Pratap Singh V/s District Majistrate Mainpuri, U.P. and ors मे पारित आदेश दिनांक 20.03.2025 के अनुक्रम में क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 23.06.2025 के द्वारा आख्या प्रेषित की गयी है (छायाप्रति सलग्न)।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड फिरोजाबाद के पत्र दिनांक 23.06.2025 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार नगर पालिका परिषद, मैनपुरी, जनपद–मैनपुरी ईशान नदी के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है जिसमें क्षेत्र से जनित नगरीय सीवेज नालों के माध्यम से ईशन नदी में गिर रहा है। स्थानीय निकाय क्षेत्रो मे गिर रहे नालों का विवरण निम्नवत् है:–

Sr. no.	Name of Local Body	Drain Name	River name in which drain meet	Tapping Status of Drain	Treatment facility for discharged effluent	Flow in each Drain (MLD)
1.	Nagar Palika Parishad, District-Mainpuri	Kharja Drain (RD Marriage Hall)	Ishan	Untapped	No	6.00
2.		Drain Meets at Satish Mall				1.20
3.		Drain Meets at Chandeshwar mandir Road				0.65
4.		Drain Near Shamshan Ghat				1.32
5.		Drain at Karbala Ghat				0.92
6.		Lengang drain meets near Saint Marry School				3.62
7.		Drain at Ishan River Bridge kurawali Road Mainpuri				0.45

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद के पत्र दिनांक 21.05.2025 द्वारा आपको उक्त नालो की टैपिग किये जाने, नालों के माध्यम से ईशन नदी में सीधे निस्तारित अशोधित उत्प्रवाह को शुद्धिकृत किये जाने हेतु समयबद्ध प्रस्ताव प्रेषित किये जाने, एस0टी0पी0 नहीं होने की दशा में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में फाइटोरेमिडियेशन/बायो रेमिडियेशन के द्वारा उपचारित कर ही सीवेज उत्प्रवाह को नदी में निस्तारित किये जाने सम्बन्धी नोटिस प्रेषित किया गया है, जिसका प्रतिउत्तर/अनुपालन आख्या अभी तक प्राप्त नहीं है।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–20 सपठित धारा 33ए के अन्तर्गत आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपद–फिरोजाबाद मे ईशान नदी में गिरने वाले उक्त नालों से जनित उत्प्रवाह को शोधित किये जाने हेतु की जा रही कार्यवाही/कार्ययोजना एक सप्ताह के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

........................कृ0पृ0उ0

(2)

उपरोक्त निर्देशो का समयबद्ध अनुपालन न किये जाने की दशा में पर्यावरणीय अधिनियमों के अन्तर्गत आपके विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

भवदीय

Digitally signed by
RAM GOPAL
Date: 15-10-2025
12:24:08

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

प्रतिलिपि–

1. जिलाधिकारी, जनपद–मैनपुरी को सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

NOTARY
GOVT. OF INDIA

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE Lifestyle for Environment

संदर्भ सख्या-H33576/सी-4/सामान्य-।।-1138/2025 दिनाक 15/10/25

पंजीकृत
ई-मेल

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पचायत, निधौली,
जनपद-एटा।

यह कि मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली OA No. 105/2025 Ajay Pratap Singh V/s District Majistrate Mainpuri, U.P. and ors मे पारित आदेश दिनांक 20.03.2025 के अनुक्रम में क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियत्रण बोर्ड, अलीगढ के पत्र दिनांक 09.06.2025 के द्वारा आख्या क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद को संदर्भित एवं बोर्ड मुख्यालय को भी पृष्ठाकित की गयी है (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ के पत्र दिनांक 09.06.2025 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार नगर पंचायत, निधौली, जनपद-एटा ईशान नदी के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है जिसमें क्षेत्र से जनित ग्राम/स्थानीय निकाय का घरेलू उत्प्रवाह ईशान नदी में गिर रहा है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

Sr. no.	Name of Village/Local Body	Drain Name	River name in which drain meet	Treatment facility for discharged effluent	Flow in each Drain (MLD)
1.	Village-Kashanpur Post-Nidhauli Kalan, Tehsil & Distt. Etah.	-	Ishan	No	0.4
2.	Nagar Panchayat Nidhauli Kala Tehsil & Distt. Etah.	-			0.3
3	Village-Horchi Post-Nidhauli Kalan, Tehsil & Distt. Etah.	-			0.2
4	Village & Post Jitauli,Tehsil & Distt. Etah.	-			0.4
5.	Village Jargaon, Tehsil & Distt. Etah.				0.3

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियत्रण बोर्ड, अलीगढ के पत्र दिनांक 16.05.2025 द्वारा आपको उक्त ग्राम/स्थानीय निकाय का घरेलू उत्प्रवाह की टैपिग किये जाने, नालों के माध्यम से ईशान नदी में सीधे निस्तारित अशोधित उत्प्रवाह को शुद्धिकृत किये जाने हेतु समयबद्ध प्रस्ताव प्रेषित किये जाने, एस0टी0पी0 नही होने की दशा में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में फाइटोरेमिडियेशन/बायो रेमिडियेशन के द्वारा उपचारित कर ही सीवेज उत्प्रवाह को नदी में निस्तारित किये जाने सम्बन्धी नोटिस प्रेषित किया गया है, जिसका प्रतिउत्तर/ अनुपालन आख्या अभी तक प्राप्त नहीं है।

NOTARY GOVT. OF INDIA

..................कृ0पृ0उ0

(2)

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–20 सपठित धारा 33ए के अन्तर्गत आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपद–हाथरस मे ईशान नदी मे गिरने वाले उक्त नालों से जनित उत्प्रवाह को शोधित किये जाने हेतु की जा रही कार्यवाही / कार्ययोजना एक सप्ताह के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन न किये जाने की दशा मे पर्यावरणीय अधिनियमों के अन्तर्गत आपके विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वय का होगा।

भवदीय

Digitally signed by
RAM GOPAL
Date: 15-10-2025
12:19:45

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि:–

1. जिलाधिकारी, जनपद–एटा को सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE Lifestyle for Environment

संदर्भ संख्या–H33577/सी–4/सामान्य–।।–1137/2025 दिनांक 15/10/25

पंजीकृत
ई–मेल

सेवा मे,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, एटा,
जनपद–एटा।

यह कि मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली OA No. 105/2025 Ajay Pratap Singh V/s District Majistrate Mainpuri, U.P. and ors में पारित आदेश दिनांक 20.03.2025 के अनुक्रम में क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के पत्र दिनांक 09.06.2025 के द्वारा आख्या क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद को संदर्भित एवं बोर्ड मुख्यालय को भी पृष्ठांकित की गयी है (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ के पत्र दिनांक 09.06.2025 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार नगर पालिका परिषद, जनपद–एटा ईशान नदी के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है जिसमें क्षेत्र से जनित ग्राम/स्थानीय निकाय का घरेलू उत्प्रवाह ईशान नदी में गिर रहा है, जिसका विवरण निम्नवत् है:–

Sr. no.	Name of Village/Local Body	Drain Name	River name in which drain meet	Treatment facility for discharged effluent	Flow in each Drain (MLD)
1.	Nagar Palika Parishad Etah.	-	Ishan	No	0.5

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के पत्र दिनांक 16.05.2025 द्वारा आपको उक्त ग्राम/स्थानीय निकाय का घरेलू उत्प्रवाह की टैपिंग किये जाने, नालों के माध्यम से ईशान नदी में सीधे निस्तारित अशोधित उत्प्रवाह को शुद्धिकृत किये जाने हेतु समयबद्ध प्रस्ताव प्रेषित किये जाने, एस0टी0पी0 नही होने की दशा में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में फाइटोरेमिडियेशन/बायो रेमिडियेशन के द्वारा उपचारित कर ही सीवेज उत्प्रवाह को नदी में निस्तारित किये जाने सम्बन्धी नोटिस प्रेषित किया गया है, जिसका प्रतिउत्तर/ अनुपालन आख्या अभी तक प्राप्त नही है।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–20 सपठित धारा 33ए के अन्तर्गत आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपद–हाथरस में ईशान नदी में गिरने वाले उक्त नालों से जनित उत्प्रवाह को शोधित किये जाने हेतु की जा रही कार्यवाही/कार्ययोजना एक सप्ताह के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन न किये जाने की दशा में पर्यावरणीय अधिनियमों के अन्तर्गत आपके विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

भवदीय
Digitally signed by
RAM GOPAL
Date: 15-10-2025
12:23:11
मुख्य पर्यावरण अधिकारी

प्रतिलिपि:–
1. जिलाधिकारी, जनपद–एटा को सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

NOTARY GOVT. OF INDIA

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE Lifestyle for Environment

संदर्भ सख्या-H 3 Ss 80 /सी–4/सामान्य–II–1136/2025 दिनाक 15/10/25

पंजीकृत
ई–मेल

सेवा मे,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, सिकन्दराराऊ,
जनपद–हाथरस।

यह कि मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली OA No. 105/2025 Ajay Pratap Singh V/s District Majistrate Mainpuri, U.P. and ors में पारित आदेश दिनांक 20.03.2025 के अनुक्रम में क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के पत्र दिनांक 09.06.2025 के द्वारा आख्या क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद को संदर्भित एवं बोर्ड मुख्यालय को भी पृष्ठांकित की गयी है (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ के पत्र दिनांक 09.06.2025 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार नगर पालिका परिषद, सिकन्दराराऊ, जनपद–हाथरस ईशान नदी के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है जिसमें क्षेत्र से जनित ग्राम/स्थानीय निकाय का घरेलू उत्प्रवाह ईशान नदी में गिर रहा है, जिसका का विवरण निम्नवत् है:–

Sr. no.	Drain Name	River name in which drain meet	Treatment facility for discharged effluent	Flow in each Drain (MLD)
1.	Pant chorahe se railway Phatk tk	Ishan	No	1.06
2.	Pant chorahe se Sadla pul tk			1.00
3.	Bhuteshwar Mandir se GT road tk			0.20
4.	GT road se Canal road Mandir tk Saraye Umda Begam tk			0.25
5.	GT road se Telion tk, Roshanganj			0.28
6.	Pant chorahe se Kuwarpal k ghr tk			0.43
7.	Sardla pul se Kaziyan Mandir tk			0.35
8.	GT road se Lakshmi Taakej tk			0.35
9.	GT road seEidgah tk Nagla Lala			0.17
10.	Purani Kasganj chok road se fauji ki chakki tk			0.18
11.	GT road pant chaurahe se Eidgah tk			0.18
12.	GT road se Barahseni Roshanganj tk			0.15
13.	Gausganj chaurahe se Railway Station tk			0.40

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ के पत्र दिनांक 16.05.2025 द्वारा आपको उक्त ग्राम/स्थानीय निकाय का घरेलू उत्प्रवाह की टैपिंग किये जाने, नालों के माध्यम से ईशान नदी मे सीधे निस्तारित अशोधित उत्प्रवाह को शुद्धिकृत किये जाने हेतु समयबद्ध प्रस्ताव प्रेषित किये जाने, एस0टी0पी0 नही होने की दशा में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में फाइटोरेमिडियेशन/बायो रेमिडियेशन के द्वारा उपचारित कर ही सीवेज उत्प्रवाह को नदी मे निस्तारित किये जाने सम्बन्धी नोटिस प्रेषित किया गया है, जिसका प्रतिउत्तर/ अनुपालन आख्या अभी तक प्राप्त नहीं है।

कृ0पृ0उ0

NOTARY GOVT. OF INDIA

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

अत. उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–20 सपठित धारा 33ए के अन्तर्गत आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपद–हाथरस मे ईशान नदी में गिरने वाले उक्त नालो से जनित उत्प्रवाह को शोधित किये जाने हेतु की जा रही कार्यवाही/ कार्ययोजना एक सप्ताह के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशो का समयबद्ध अनुपालन न किये जाने की दशा मे पर्यावरणीय अधिनियमों के अन्तर्गत आपके विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वय का होगा।

भवदीय

Digitally signed by
RAM GOPAL
Date: 15-10-2025
12:27:13

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, [illegible]

प्रतिलिपि:–

1. जिलाधिकारी, जनपद–हाथरस को सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

NOTARY
Name Shyam Sunder Soni Adv.
Area Distt. Firozabad
Regn. No. 4630/07
GOVT. OF INDIA

Annexure-3
Anneuxre No. 3183

जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 15.04.2025 को मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली के ओ.ए. संख्या–105/2025 में दिनांक 20.03.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में जनपद कन्नौज में ईशन नदी के पुनर्जीवन के सम्बंध में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

मा0 एन0जी0टी0 नईदिल्ली के ओ.ए. संख्या–105/2025 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2025 के अनुपालन में कार्यालय पत्रांक–2087/सात–भूलेख/महत्वपूर्ण बैठक/2024–25 दिनांक 11.04.2025 के कम में दिनांक 15.04.2025 को जनपद कन्नौज में ईशन नदी के पुनर्जीवन हेतु जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में निर्धारित एजेंडा बिंदु के अनुसार गॉधी सभागार, कलेक्ट्रेट परिसर, कन्नौज में बैठक आयोजित की गई। अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैठक प्रारंभ कर संचालन किया गया तथा एजेंडा के अनुसार निम्नलिखित बिन्दुओं पर समीक्षा की गई। प्रभागीय वनाधिकारी, कन्नौज द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल सम्बन्धित ओ.ए. में वादी श्री अजय प्रताप सिंह द्वारा किये गये अनुरोध, मा0 एन0जी0टी0 नईदिल्ली द्वारा दिनांक 20.03.2025 को पारित आदेश तथा वस्तुस्थिति के बारे में जानकारी दी गयी।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित राजस्व विभाग/चकबन्दी विभाग के लेखपालों एवं राजस्व निरीक्षकों को निर्देशित किया गया कि ईशन नदी के प्रवाह क्षेत्र के समस्त राजस्व ग्रामों में राजस्व विभाग के रिकार्ड के अनुसार सर्वेक्षण करायें तथा राजस्व ग्रामों को ईशन नदी के प्रवाह क्षेत्र के बाह्य सलि तक कमबद्ध करें जिसमें प्रत्येक ग्राम को कमवार एक संख्या दी जाए। इस रिपोर्ट हेतु एक प्रारूप (जिसमें कम संख्या, राजस्व ग्राम, ईशन नदी का गाटा संख्या, क्षेत्रफल, वास्तविक क्षेत्रफल, अतिक्रमण की स्थिति, प्रवाह की स्थिति, अपेक्षित कार्यवाही/अभ्युक्ति इत्यादि हो) तैयार करें तथा इस प्रारूप पर रिपोर्ट तथा नदी के प्रवाह का नजरी नक्शा तैयार कराकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, कन्नौज/छिबरामऊ/तिर्वा)

जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई विभाग, कन्नौज को निर्देशित किया गया कि जनपद कन्नौज में ईशन नदी के प्रवेश सलि से लेकर जनपद से बाहर जाने के बिन्दु तक सम्पूर्ण प्रवाह क्षेत्र का ड्रोन द्वारा एरियल सर्वे कराकर मैंप तैयार करें तथा नदी के प्रवाह एवं ब्लॉकेज का धरातलीय सर्वे कर नदी के पुनरोद्वार हेतु कार्य योजना प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई विभाग,कन्नौज एवं प्रभागीय वनाधिकारी, कन्नौज)

जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, कन्नौज को निर्देशित किया गया कि ईशन नदी के दोनों तटों पर वनीकरण के लिए कार्ययोजना बनाकर प्रस्तुत करें ताकि आगामी वर्षा काल में पंचायतीराज विभाग/ग्राम्य विकास विभाग के आवंटित लक्ष्य के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्य कराया जा सके।

(कार्यवाही प्रभागीय वनाधिकारी,कन्नौज, जिला विकास अधिकारी, जिला पंचायतराज अधिकारी, कन्नौज)

जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिला पंचायतराज अधिकारी, कन्नौज को निर्देशित किया गया कि ईशन नदी के प्रवाह क्षेत्र से सम्बन्धित ग्राम पंचायतों से अशोधित उत्प्रवाह को चिन्हित करें तथा इस के शोधन की कार्यवाही (भौतिक पृथक्कीकरण, बायोरेमेडिएशन, फाइटोरेमेडिएशन इत्यादि) सुनिश्चित करें ताकि ईशन नदी में किसी भी प्रकार का अशोधित उत्प्रवाह प्रवाहित न हो।

(कार्यवाही जिला पंचायतराज अधिकारी, कन्नौज)

important / time bound
LA (A/S)

Scanned with OKEN Scanner

जिलाधिकारी महोदय द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देशित किया कि जनपद कन्नौज में ईशन नदी के प्रवेश स्थल से लेकर जनपद से बाहर जाने के बिन्दु तक सम्पूर्ण प्रवाह क्षेत्र में प्रदूषण की स्थिति की जाँच करायें तथा 15 दिन के अन्दर प्रमाणित रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,कन्नौज)

जिलाधिकारी महोदय द्वारा उपायुक्त मनरेगा को निर्देशित किया गया कि ईशन नदी के प्रवाह क्षेत्र में जहाँ पर प्रवाह बाधित हो अथवा सिल्ट निकाले जाने की आवश्यकता हो वहाँ मनरेगा के अन्तर्गत यह कार्य कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही, उपायुक्त मनरेगा, कन्नौज)

जिलाधिकारी महोदय, कन्नौज द्वारा ईशन नदी के किनारे स्थित ग्रामों से सम्बन्धित लेखपालों एवं राजस्व निरीक्षकों को निर्देशित किया गया कि कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या/रिपोर्ट अगली बैठक से पूर्व अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही, समस्त कार्यदायी विभाग, कन्नौज)

जिलाधिकारी महोदय द्वारा अगली बैठक 15 दिन बाद आयोजित करने हेतु निर्देशित करते हुए बैठक धन्यबाद के साथ समाप्त हुई।

(आशीष कुमार सिंह)
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0),
कन्नौज।

कार्यालय जिलाधिकारी, कन्नौज।

संख्याः 2099 /सात–भूलेख/ईशन नदी बैठक–कार्यवृत्त/2024–25 दिनांक 16 अप्रैल, 2025

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2– मुख्य विकास अधिकारी, कन्नौज।
3– प्रभागीय वनाधिकारी, कन्नौज वन प्रभाग, कन्नौज।
4– उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, कन्नौज/छिबरामऊ/तिर्वा,
5– जिला विकास अधिकारी, कन्नौज।
6– जिला पंचायतराज अधिकारी, कन्नौज।
7– अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, कन्नौज।
8– क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कन्नौज।
9– उपायुक्त मनरेगा, कन्नौज।

NOTARY
Name Shyam Sunder Soni Adv.
Area Distt. Farrukhabad
Regn. No. [illegible]/07
GOVT. OF INDIA

16/4/2025
(आशीष कुमार सिंह)
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0),
कन्नौज।

Scanned with OKEN Scanner